

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2019/115

दिनांक : 20/02/19

आदेश

निम्नांकित कर्मचारियों के नामों के सम्मुख अंकित जन्म दिनांक के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	से.नि.दिनांक
1.	श्री रीत चन्द, लै.टे.	क.रा.बी. औष0 न0 10, मालवीय नगर, जयपुर	16.06.1959	30.06.2019
2.	श्री हबीब खॉ, वरि.लै.टे.	अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर	01.01.1960	31.12.2019
3.	श्री गिरधारी सिंह राजपुरोहित, वरि.लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल पावटा, जोधपुर	30.07.1959	31.07.2019

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./ (1149)/2019/115

दिनांक : 20/02/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
3. उप निदेशक, ई0एस0आई0 योजना, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड़, जयपुर-6।
4. अधीक्षक, पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय, उदयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल पावटा, जोधपुर।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क.रा.बी. औष0 न0 10, मालवीय नगर, जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारीयो
के विरुद्ध यदि
आडिट पेरा या
अन्य कोई वसूली
बकाया हो तो
उसकी वसूली
तत्काल कर
निदेशालय को
अवगत करावे।